इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 30.03.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 6,000-6,000/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना सैफई व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 6000-6000/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.04.2018 को वादी के भाई राजवीर सिंह व साझेदार राकेश कमार के ऊपर धारदार हथियार , असलहों व लाठी, डण्डों से हमला करना और राजवीर के गोली मारकर जान से मार देने के संबंध में लिखित तहरीरी सूचना दी गयी, सूचना पर तत्काल थाना सैफई पर **मु0अ0सं0 95/20218 धारा 147/148/149/536/302/324 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 विजय प्रकाश द्विवेदी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों देवेश उर्फ बबलू पुत्र फेरम सिंह व संजीव उर्फ पप्पू पुत्र श्रीकृष्ण एवं उदयवीर उर्फ पप्पू पुत्र रामभरोसे के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना सैफई पुलिस टीम, पैरोकार का0 गुलाब सिंह एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री वीरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 30.03.2024 को अन्तर्गत धारा 147/148/149/536/302/324 भादवि में मा0 न्यायालय A.D.J/F.T.C-II जनपद इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 6000-6000/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **देवेश उर्फ बबलू पुत्र फेरम सिंह निवासी नगला दरियाय थाना सैफई जनपद इटावा ।**
2. **संजीव उर्फ पप्पू पुत्र श्रीकृष्ण निवासी नगला बाग थाना सैफई जनपद इटावा।**
3. **उदयवीर उर्फ पप्पू पुत्र रामभरोसे निवासी नगला बाग थाना सैफई जनपद इटावा।**